

कृषि विभिन्नता को अपनाये ,पंजाब को खुशहाल बनाएं

पंजाब प्रदेश में कृषि विभिन्नता को बढ़ावा देने और कृषि संबंधी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान काल सेंटर की सुविधा लागू है।



चेतावनी

सरकारी नौकरी/किसान काल सेंटर में भर्ती के नाम पर धोखेबाजी से सावधान

सभी नागरिकों के ध्यान हेतु यह सूचित किया जाता है कि कुछ धोखा करने वाले असामाजिक तत्व अखबारों / इंटरनेट / टेलीफोन आदि माध्यम द्वारा बेरोजगार नौजवान लड़के एवं लड़कियों को किसान कॉल सेंटर और सरकारी विभागों में नौकरी देने का झांसा देकर पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं। ये लोग भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के कृषि और दूसरे विभागों के नकली दस्तावेज बनवा कर बेरोजगारों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि विभाग, पंजाब को राज्य के जिलों से और पड़ोसी राज्यों के अलावा इस तरह की शिकायतें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी प्राप्त हुई हैं। ऐसे कई झूठे गिरोह कई राज्यों के बेरोजगारों से राशि के हेराफेरी करने में कामयाब भी हुए हैं। कृषि विभाग, पंजाब द्वारा पिछले लम्बे समय से प्रिंट / टेलीविजन / रेडियो एवं अन्य माध्यमों से इस तरह के धोखे के बारे में लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग के इन प्रयासों की वजह से काफी सारे बेरोजगार नौजवान लड़कों एवं लड़कियों को इस ठगी से बचाया गया है। आप सबको सावधान किया जाता है कि ऐसे किसी भी इश्तहार को देखकर राशि और दस्तावेज जमा न करवाएं। यह धोखा करने वाले तत्व कई नामों से इश्तहार देते हैं जैसे की किसान कॉल सेंटर, किसान सेवा केन्द्र, भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र और किसान हेल्पलाइन सेवाएं आदि। ये कई अखबारों और इंटरनेट के माध्यम से इश्तहार देकर टेलीफोन / मोबाइल फोन पर इंटरव्यू लेकर नियुक्ति पत्र भेजने के लिए पैसों की मांग करते हैं। इसके बाद लैपटॉप एवं सिक्योरिटी राशि के नाम पर 15,000 - 50,000 रु. तक की राशि मांगते हैं। आप सब से निवेदन है कि बिना सोच विचार के किसी भी नौकरी के लिए राशि जमा न करवाएं। अगर आपको कोई इस तरह से नौकरी देने की पेशकश करता है तो भारत सरकार या राज्य सरकार के विभागों / दफ्तरों से संपर्क करके इसकी वैधता की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको इसमें धोखा लगता है तो आपके नजदीक के किसी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत जरूर करें। आप सब से ये भी निवेदन है कि कृषि विभाग, पंजाब के इस सन्देश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। सभी की जानकारी हेतु यह भी सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसान कॉल सेंटर में नौकरी के लिए कम से कम योग्यता बी. एस. सी. (कृषि विज्ञान) एवं अलाइड है। केवल भारत सरकार और इफको किसान संचार लिमिटेड ही किसान कॉल सेंटर में भर्ती करने के लिए अधिकारित हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने स्तर पर किसी झूठे इश्तहार से आकर्षित होकर बिना किसी विभाग से जानकारी प्राप्त किये राशि जमा करवाता है, तो इसके लिए वह खुद जिम्मेवार होगा। इसलिए खुद भी सावधान रहें और अपने आस पास के लोगों को भी इस धोखे के प्रति सावधान करें क्योंकि सावधानी में ही बचाव है।



निदेशक, कृषि विभाग, पंजाब

इंस्टीटूशनल सार्वेट नंबर : 204, फेज- 6, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, दूरभाष नंबर : 0172-2970609